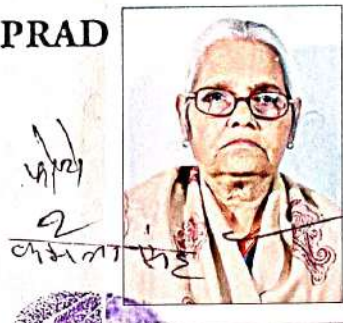


I 10049/12
1



उत्तर प्रदेश UTTAR PRAD

AB 774645



लीजडीड

लीज अवधि 25 वर्ष
वार्षिक किराया-12000/ रु0
स्टाम्प-1440/रु0

हम कि श्रीमती कमला सिंह पत्नी तेजप्रताप सिंह साकिन व पो0 गौहनिया तप्पा

रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती बहैसियत सरवराकार श्री

ठाकुर श्याम बिहारी (प्रथम पक्ष) व अवनीश प्रताप सिंह पुत्र तेज प्रताप सिंह

कमला सिंह

अवनीश प्रताप सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 774646

साकिन गौहनिया तप्पा रामगढ़ परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती

(द्वितीय पक्ष) हैं। विदित हो कि प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का मालिक, काबिज

समस्त अधिकार सहित है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार, बाधा, बन्धक एवं विक्रय

अनुबन्ध से मुक्त है। द्वितीय पक्ष को इसकी आवश्यकता डीजल/पेट्रोल पम्प के

स्थापनार्थ है और इसे 25 वर्ष के लिए लीज पर लेना चाहते हैं। चूकि श्री ठाकुर

कमलेश्वर सिंह

श्रीवती प्रताप सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 205478

श्याम विहारी मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु रुपये की आवश्यकता है इसलिए प्रथम पक्ष

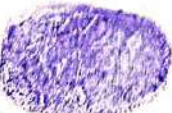
लीज पर देने हेतु सहमत हैं। अतएव दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों से आवद्ध होकर

इस लीजडीड का निष्पादन कर रहे हैं:-

1- यह कि लीज की अवधि 25 वर्ष होगी जो कि दिनांक-20.12.2018 से

प्रारम्भ होकर दिनांक 19.12.2043 को समाप्त होगी।

कमला सिंह



प्रताप सिंह



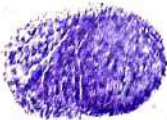


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 205479

- 2- यह कि किराया 12000/रु0 वार्षिक देय होगा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को निर्धारित अवधि तक किराया नियमित रूप से देते रहेगी ।
- 3- यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को लीज पर दी गई सम्पत्ति से उपरोक्त अवधि तक बेदखल नहीं करेंगे ।
- 4- यह कि द्वितीय पक्ष इस सम्पत्ति में डीजल/पेट्रोल पम्प स्थापित करेंगे और इसे डीजल/पेट्रोल पम्प के ही उपयोग में लायेंगे ।
- 5- यह कि द्वितीय पक्ष ऑयल कम्पनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त हो जाने के बाद कम्पनी के मानक के अनुसार निर्माण करावें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी ।

कोमला सिंह



अपनीश प्रताप सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 205482

6- यह कि आर्येल कम्पनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त हो जाने के पश्चात इस भूखण्ड को प्रदाता कम्पनी के पक्ष में सबलीज-डीड करने हेतु अधिकृत होंगे।

7- यह कि यदि द्वितीय पक्ष को डीजल/पेट्रोल पम्प की डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं प्राप्त होती है तो यह लीज डीड स्वतः निरस्त माना जायेगा।

उपरोक्त सभी शर्तें उभयपक्षों व इनके उत्तराधिकारियों को सदैव मान्य होंगी। अतएव

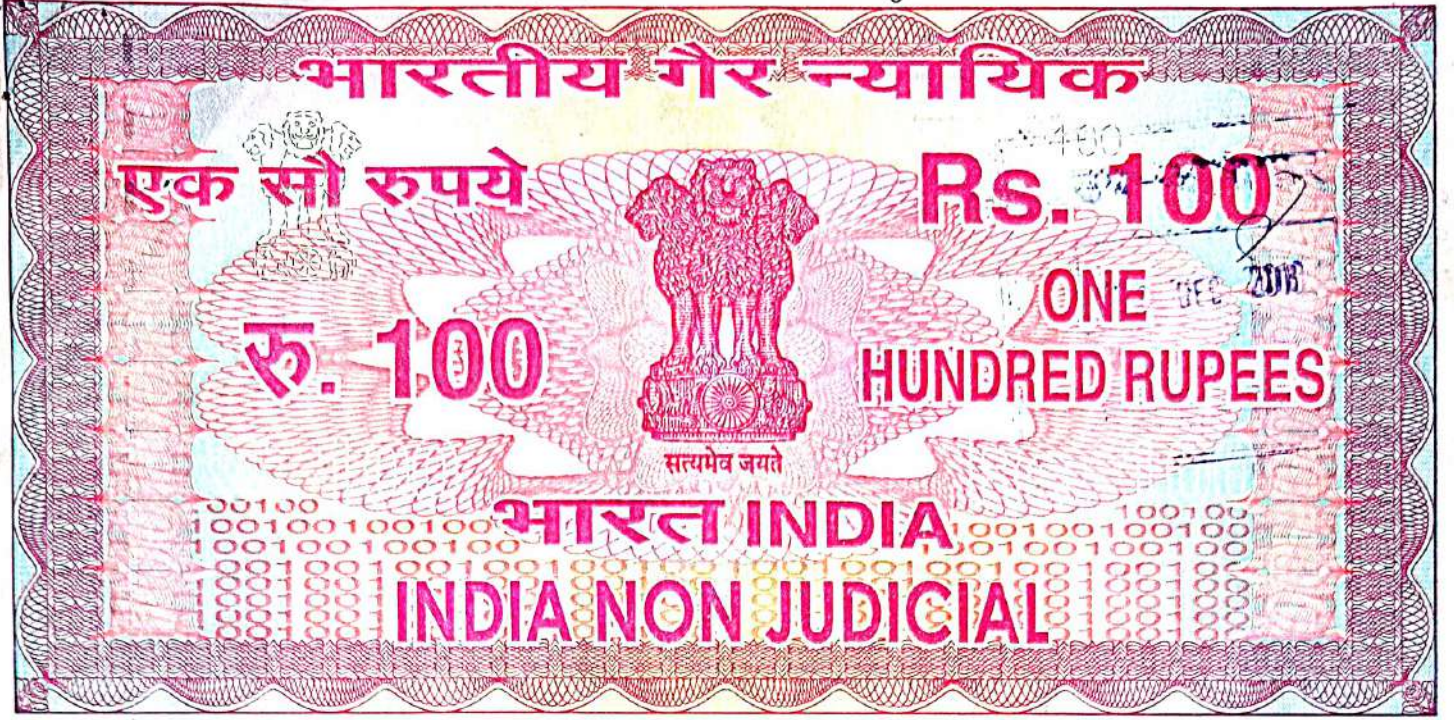
अपने स्वस्थ मन व चित्त से और स्वेच्छा से यह लीजडीड लिख दिया कि समय पर

प्रमाण रहे। विवरण सम्पत्ति जो लीज पर दी गई है स्थित ग्राम शंकरपुर तप्पा बेलवा

कमला रिट

अवनीश गुप्ता रिट





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 205480

परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती में भूखण्ड सं०-1159 में

42मी०×48मी० अर्थात 2016 वर्गमी०, जिसकी चौहद्दी पूरब-नं० 1157,

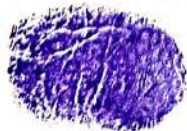
पश्चिम - प्रथम पक्ष की शेष भूमि ,उत्तर - प्रथम पक्ष की शेष भूमि ,दक्षिण-

यन०यच०28 है। लीज पर दी गयी सम्पत्ति सड़क सीमा छोड़कर है। लीज पर दी गयी

सम्पत्ति अकृषिक है उक्त सम्पत्ति ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है प्रथम पक्ष उ० प्र० राजस्व

कमला सिंह

अवनीश प्रताप सिंह



विक्रय रजिस्टर में क्रमांक संख्या 1968
स्टॉम्प विक्रय की तिथि 12/12/18
स्टाम्प विक्रय का प्रायोजन 20/12/18
स्टाम्प की धारिता 100/-
क्रेता का नाम कमला सिंह W/o S/o D/o.....
पता
स्टाम्प वि० का नाम उपनिबन्धक कार्यालय, हरैया-बस्ती
स्टाम्प वि० का नाम दया शंकर सिंह ला० नं० 14/38



पट्टा विलेख/कबूलियतनामा

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1440 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1440 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 1500

श्रीमती सरवराकारश्रीठाकुरश्यामबिहारी द्वारा
कमला सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पत्नी श्री तेजप्रताप सिंह
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: सा०वपो०गौहनियातप्पारामगढ़पर०अमोदातहसीलहरैयाजिला बस्ती



श्रीमती, सरवराकारश्रीठाकुरश्यामबिहारी द्वारा
कमला सिंह अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 21/12/2018 एवं
12:43:26 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बृजेश पाल (प्रभारी)

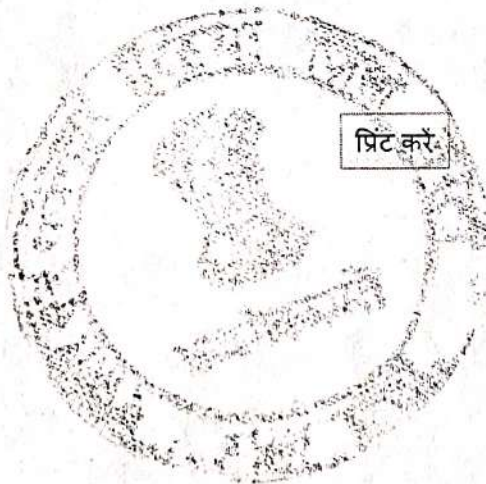
उप निबंधक :हरैया

बस्ती

21/12/2018

श्री धनश्याम तिवारी

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित





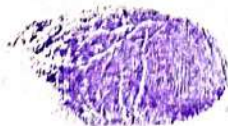
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 300578

संहिता 2006 की धारा 95 के उपबन्ध ग एवं घ के अधीन लीज पर देने हेतु सक्षम है

उभयपक्ष भारतीय नागरिक है अनुसूचित जाति/जनजाति के नहीं...

कमला सिंह



अवनीश प्रताप सिंह



विक्रय रजिस्टर में क्रमांक संख्या 1969
स्टाम्प विक्रय की तिथि 12/10/88
स्टाम्प विक्रय का प्रायोजन श्री ज
स्टाम्प की धनराशि 200/-
क्रेता का नाम कमला सिंह W/o S/o D/o.....
पता

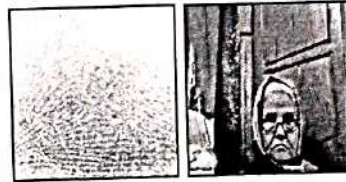
स्टाम्प वि० का स्थान : निष्पादन लेखपत्र संदिग्ध मुनने के समीप मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
स्टाम्प विक्रेता का नाम दया शंकर सिंह, ना० नं० 14/38
पट्टा दाता: 1

श्रीमती सरवराकार श्री ठाकुर श्याम बिहारी के द्वारा कमला सिंह,
पत्नी श्री तेजप्रताप सिंह

निवासी:
सा० व पो० गौहनिया तप्पारामगढ़ पर० अमोदा तहसील हरैया जिला
बस्ती

व्यवसाय: गृहिणी

पट्टा गृहिता: 1



श्री अवनीश प्रताप सिंह, पुत्र श्री तेजप्रताप सिंह
निवासी: गौहनिया तप्पारामगढ़ पर० अमोदा तहसील हरैया जिला
बस्ती

व्यवसाय: कृषि

अवनीश प्रताप सिंह



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री श्याम धर सिंह, पुत्र श्री उग्र सहाय

निवासी: खम्हरिया सुजातपो० हरैया जिला बस्ती

व्यवसाय: कृषि श्याम धर सिंह

पहचानकर्ता: 2

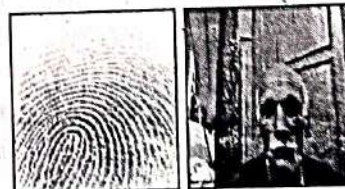


श्री राम सूरत, पुत्र श्री राजकरन

निवासी: गौहनिया पो० गौहनिया जिला बस्ती

व्यवसाय: कृषि

राम सूरत



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बृजेश पाल (प्रभारी)

उप निबंधक: हरैया

बस्ती

श्री धनश्याम तिवारी

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) -

नियमित

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।

टिप्पणी:



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AA 300579

८५

प्रथम पक्ष

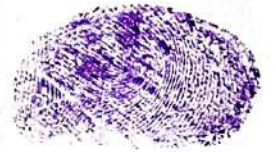
लाला राम सिंह



बुधबहादुर सिंह १/०३/२०१८ को साक्षीगण
सा. छात्रापीठ लखनऊ में
मि. वल्ली
११/१३/०८-१९०

द्वितीय पक्ष

अमरेश प्रताप सिंह



रामचंद्र १/० एम.एन.
सा. गौरीगंगा पो. ब. गौरीगंगा
जिला-ब. (ब.)

८७९५०६५५२२

मसविदाकर्ता एवं टाइपकर्ता- हरीराम सिंह व ० न० १०१०
उज्जत नियमानुसार पाया २०/१२/२०१८
दिनांक- 20.12.2018